कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ ( )2008/वसु/प्रमुवसं/ 1823—1922 दिनांक : 14.2.08

निमित्त:—

मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक,

विषय:— वुड हैण्डीकाफ्ट आरामशीन लाईसेंस हेतु दिशा—निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वुड हैण्डीकाफ्ट आरामशीन के लाईसेंस हेतु प्रार्थना—पत्र अग्रेषित करते समय निम्नानुसार पूर्ति कर पत्रावली इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

1. संबंधित उ.व.सं./म.व.अ. की अभिशंषा का पत्र एंव मौका निरीक्षण रिपोर्ट ।
2. संबंधित उ.व.सं./म.व.अ. द्वारा आवेदनकर्ता की अवैद्य आरामशीन संचालन आदि की रिपोर्ट ।
3. आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्म नं. 3 में पूर्णरूप से भरा हुआ ।
4. साईट प्लान की हस्ताक्षरित एंव प्रमाणित प्रति, जिसमें समस्त विवरण एंव नापजोख दर्शाये गये हो, एंव अमोनिया प्रिंट में बनवाया गया हो ।
5. स्थापित की जाने वाली मशीन का साईज/टाईप/मेक/केपेसिटी (एच.पी.) एंव अन्य विवरण ।
6. जिस स्थान पर आरामशीन स्थापित की जानी है, उसके स्वामित्व, किरायानामा, लीजडीड अथवा उत्तराधिकार से प्राप्त सम्पत्ति आदि के संबंध में वैद्य दस्तावेज ।
7. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी पंजीकृत एसोसियेशन का स्थायी सदस्यता प्रमाण—पत्र ।
8. डिवीजन से आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु फीस जमा कराने की रसीद की सत्यापित छायाप्रति ।
9. यदि 'सॉ मिल एक्ट' के अन्तर्गत कोई प्रकरण दर्ज/विचाराधीन/निर्णित हो तो उसकी घोषणा ।
10. लकडी (कच्चा माल) प्राप्ति का स्त्रोत एंव गोल लकडी का उपयोग नही करने का शपथ पत्र । शपथ पत्र का नमूना:—

(I). यह कि मेरे/मेरी फर्म द्वारा हरी लकडी अथवा गोल लकडी की प्राप्ति, कय, विकय, संग्रह, चिरान अथवा उपयोग नही किया जायेगा

(II). यह कि मेरे/मेरी फर्म द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा फर्म से चिरी हुई लकडी प्राप्त नही की जायेगी, जिसके पास आरामशीन का वैद्य लाईसेंस तथा वैद्य सैल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नही होगा ।

11. विभागीय नियमों की पालना करने का शपथ पत्र । शपथ पत्र का नमूना:—

(I). यह कि मैं आरामशीन के संचालन पर लागू होने वाले वन विभाग के साथ, श्रम उद्योग, पर्यावरण एंव अन्य विभागों के नियमों, अधिनियमों एंव सह संबंधित राज्यादेशों की पालना करने के लिए दायित्वबद्ध रहूंगा ।

(II). यह कि मैं आरामशीन संचालन से संबंधित वे सभी दस्तावेज जो कि राजस्थान वन ऊपज आरामिलों की स्थापना एंव नियमन/नियमन,1983 एंव एतदपश्चात जारी हुए संशोधनों में वर्णित दस्तावेजों के समयबद्ध संधारण करने एंव उनकी सूचना वन विभाग को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए दायित्वबद्ध रहूंगा ।

(III). यह कि मेरे द्वारा आरामशीन के संचालन पर लागू होने वाले किसी भी नियम अधिनियम एंव राज्यादेशों का मेरे द्वारा पालन नही करने पर या उल्लंघन करने पर वन विभाग मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर मेरे लाईसेंस को निरस्त कर सकेगा ।

भवदीय

13-2-08

मुख्य वन संरक्षक,

6

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 36(8)06/वसु/प्रमुवसं/ 4242-4341 दिनांक: 5.4.08

मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक,

विषयः वुड हैण्डीकाफ्ट आरा मशीन (24") का लाईसेंस स्वीकृत करते समय चैकलिस्ट के अलावा ध्यान रखने योग्य बिन्दुओं बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वुड हैण्डीकाफ्ट आरा मशीन (24") का लाईसेंस स्वीकृत कराने हेतु प्रेषित की जाने वाली पत्रावलियों में, इस कार्यालय के पत्रांक 1823–1922 दिनांक 14.2.08 द्वारा प्रेषित चैकलिस्ट के अलावा निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जावे:–

1. सदस्यता प्रमाण पत्र, फार्म सं. 3 एवं वन विभाग की 25/–रूपये की रसीद में एक ही नाम हो।
2. सदस्यता प्रमाण पत्र मूल ही संलग्न हो।
3. यदि किरायानामा संलग्न है तो उस पर दोनों पक्ष के हस्ताक्षर हों।
4. रूपये 25/– की वन विभाग की रसीद मूल ही संलग्न हो।
5. पत्रावली के समस्त कागजात पर आवेदक के मूल हस्ताक्षर हों।
6. भूमि स्वामित्व के अलावा समस्त दस्तावेज मूल ही संलग्न हो।
7. भूमि स्वामित्व दस्तावेज की छाया प्रति नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।
8. यदि फर्म का नाम हो तो फर्म की सील होनी चाहिये एवं फर्म के लैटरहैड पर आवेदन होना चाहिये।

भवदीय,

3-4-08

मुख्य वन संरक्षक,
वन संरक्षण एवं सुरक्षा,
वन भवन, जयपुर।